अत: अप्रार्थी सं. 5, 7, 8, 9 अनुपस्थित रहने से उनके एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 1, 3, 6, 4 को जवाब हेतु अवसर दिया जाता है एवं अप्रार्थी सं. 2, 21, 22 को उप. होने हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 19/4/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

-3-22 पत्रावली आज प्रार्थी के प्रा. पत्र शीघ्र सुनवाई के प्रा. पत्र पर तलब कि गई। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस शीघ्र सुनवाई दि 22-3-2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

22/3/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उप.। वकील वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 09 व धारा 151 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में पेश [illegible] एवं मूल राजस्व वाद का भली भांति से अध्ययन किया। उपरोक्त विवेचन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aam
Date: 2022.10.11 16:58:10 IST
Reason: SelfAttested

	के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र 110/14 (70/2011) को पुनः नम्बर पर लिये जाने के साथ खारिज होने से पूर्व वादपत्र कि स्थिति यथा से पुनः प्रारम्भ कि जाती है। पत्रावली दि 29/7/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, भीलवाड़ा
29/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उप. प्रा.पत्र 0-9-09 स्वीकार होने से मौजूदा प्रा. पत्र का औचित्य नहीं रह जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu
Date: 2022.10.11 16:58:1
Reason: SelfAttested